भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन नई दिल्ली

मि.स GAE-21-33/8 समन्वय

दिनांक 2, नवम्बर 2018

सेवा में,

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
संस्थानों /राष्ट्रिय अनुसंधान केन्द्रों के
समस्त निदेशक /परियोजना निदेशक

महोदय,

कृपया इस पत्र के साथ सलंग्न पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु देखे

धन्यवाद

भवदीय

(विन्सेंट टी)
अनुभाग अधिकारी (समन्वय)

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAWAN: NEW DELHI

F. No. GAC-21-33/2018-CDN **Dated the 9th November, 2018**

ENDORSEMENT

Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India, New Delhi has issued an O. M No.31011/12/2015-Estt.A-IV dated 24.04.2018 regarding implementation of recommendations of 7th CPC for granting LTC facilities to the Civilian employees of the Central Government serving in States of the North – Eastern Region, Ladakh region of state of Jammu & Kashmir and in Union Territories of Andaman & Nicobar Island and Lakshdweep Group of Islands. The above mentioned O.M. is being uploaded on the ICAR website www.icar.org.in and e-office for information.

Ajai 2/11/18

(Ajai Verma)
Under Secretary (GAC)

Distribution :-

1. Directors/Project Directors of all ICAR Institutes/National Research Centres/ Project Coordinators/Coordinated Research Projects/ATARIs/Bureaux for information and compliance.
2. Secretary(SS), CJSC, CSWCRTI, Dehradun.
3. Secretary(SS), HJSC, ICAR.
4. Sr.PPS to DG, ICAR/ PPS to FA (DARE)/PPS to Secretary, ICAR
5. Media Unit for placing on the ICAR website.
6. All Officers/Sections at ICAR Krishi Bhawan/KAB – I & II/NASC
7. Guard file/Spare copies

सं.31011/12/2015-स्था.क-IV

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

स्थापना क-IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 24 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषयः उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्रों में सेवारत केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) सुविधाएं- 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

अधोहस्ताक्षरी को व्यय विभाग के दिनांक 22 जुलाई 1998 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11(2)/97-ई-II (ख) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जो उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्रों में सेवारत केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के लिए भत्ते तथा विशेष सुविधाओं के संबंध में है।

2. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन उत्तर-पूर्व क्षेत्र अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह में सेवारत ऐसे सरकारी कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष गृहनगर एलटीसी (स्वयं एवं परिवार के लिए) का लाभ उठाने का विकल्प प्रदान करते हैं जिसने अपने परिवार को अपने पूर्व मुख्यालय या निवास के अन्य चयनित स्थान पर रखा है तथा जिसने परिवार के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को "आपातकालीन यात्रा व्यय रियायत" के अंतर्गत अतिरिक्त यात्रा व्यय प्रदान किए जाते हैं ताकि वे और/अथवा उनका परिवार (पत्नी/पति और दो आश्रित बच्चे) किसी आपातकालीन स्थिति में गृह नगर या तैनाती के स्थान की यात्रा कर सकें।

3. सातवें वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि उत्तर-पूर्व, लद्दाख एवं अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह में तैनात कर्मचारियों के मामले में गृहनगर एलटीसी को विभाजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए इससे ऐसे कर्मचारी अपने परिवारों से अधिक बार मिल पाएंगे।

4. सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरुप यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र, अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप द्वीप समूह में सेवारत केंद्र सरकार के ऐसे सिविलियन कर्मचारी जिसने अपने परिवार को पुराने मुख्यालय या निवास के लिए चयनित अन्य स्थान पर रखा है तथा जिसने परिवार के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता नहीं लिया है, को एलटीसी के उद्देश्य से निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए जाएंगे:

(i) सरकारी कर्मचारी, सामान्य एलटीसी नियमों के अधीन दो वर्षों की ब्लॉक अवधि में एक बार गृहनगर की यात्रा हेतु एलटीसी और/अथवा 4 वर्षों के ब्लॉक में 'एक भारत में कहीं भी' एलटीसी का लाभ उठा सकता है।

अथवा

(ii) उसके बदले में, सरकारी कर्मचारी स्वयं के लिए वर्ष में एक बार तैनाती के स्थान से गृहनगर या वह स्थान जहां परिवार रह रहा है, की यात्रा करने की सुविधा तथा परिवार [सीसीएस (एलटीसी) नियमावली, 1980 की 'परिवार' की परिभाषा के अनुसार पत्नी/पति और आश्रित बच्चों तक ही सीमित] के लिए वर्ष में एक बार सरकारी कर्मचारी के तैनाती स्थान की यात्रा करने का लाभ उठा सकता है/उठा सकती है।

5. इसके अतिरिक्त, इन राज्य क्षेत्रों में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारी तथा उनके परिवार उनके पूरे सेवा कैरिअर के दौरान आपातकाल में दो अतिरिक्त अवसरों पर छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ लेने के हकदार होंगे। इसे "आपातकालीन यात्रा व्यय रियायत" के रूप में माना जाएगा तथा इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और/या उनके परिवारों (केवल पत्नी और आश्रितों तक सीमित) को किसी आपातकालीन स्थिति में गृहनगर या तैनाती के स्थान की यात्रा करने के लिए समर्थ बनाना है। आपातकालीन यात्रा व्यय रियायत के अधीन दो अतिरिक्त यात्रा व्ययों का लाभ सामान्य छुट्टी यात्रा रियायत नियमावली के अंतर्गत यथास्वीकार्य पात्रता-वर्ग और यात्रा की श्रेणी के अधीन लिया जाएगा।

6. यह कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होगा।

संजीव
24.4.18
(संजीव कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सचिव
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

प्रति प्रेषितः-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
9. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को इस कार्यालय ज्ञापन को विभाग की वेबसाइट (अधिसूचनाएं << कार्यालय ज्ञापन/आदेश << स्थापना << एलटीसी नियम) पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

F.No. 31011/12/2015-Estt.A-IV
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
Establishment A-IV Desk
***

North Block New Delhi.
Dated April 24, 2018

OFFICE MEMORANDUM

Subject: LTC facilities to the Civilian employees of the Central Government serving in States of the North-Eastern Region, Ladakh region of State of Jammu & Kashmir and in Union Territories of Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep Group of Islands – Implementation of recommendations of 7th CPC.

The undersigned is directed to refer to Department of Expenditure's O.M. No. 11(2)/97-E.II(B) dated 22nd July, 1998, regarding Allowance & Special Facilities for civilian employees of the Central Government serving in States and Union Territories of the North-Eastern Region and in the Andaman & Nicobar Island and Lakshadweep Group of Islands.

2. The aforesaid O.M. provided the option of availing every year Home Town LTC (for self and family) to a Government servant serving in North-Eastern Region, Andaman & Nicobar and Lakshadweep groups of Islands who leaves his family behind at the old headquarters or another selected place of residence, and who has not availed of transfer travelling allowance for family. In addition, two additional passages under "Emergency Passage Concession" is also provided to the employees posted in these regions to enable them and/or their families [spouse and two dependent children] to travel either to the Home Town or the station of posting in an emergency.

3. The Seventh Pay Commission has recommended that splitting of hometown LTC should be allowed in case of employees posted in North East, Ladakh and Island territories of Andaman, Nicobar and Lakshadweep. This will enable these employees and their families to meet more often.

4. Consequent upon acceptance of recommendations of Seventh Pay Commission, it has been decided that a civilian Central Government servant serving in North-Eastern Region, Ladakh region of State of Jammu & Kashmir, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep groups of Islands, who leaves his family behind at the old headquarters or another selected place of residence and has not availed of transfer travelling allowance for family, shall be provided with the following options for the purpose of LTC:

(i) The Government servant may avail LTC for journey to the Home Town once in a block period of two years and/or one 'Anywhere in India' LTC in a block of four years under the normal LTC rules.

Or

contd...2/-